नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 05/1998 उपनिवेशन विविध

रामचन्द्र पुत्र गोपाललाल जाति मोची निवासी फड़बाजार, बीकानेर

—प्रार्थी

: ब ना म :

किशनलाल पुत्र तोलाराम जाति जीनगर निवासी बीकानेर हाल कार्यरत वरिष्ठ लिपिक कार्यालय सहायक अभियंता उपखण्ड प्रथम इगानप, बीकमपुर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

—अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. श्री सत्यनारायण तिवाडी प्रार्थी के अधिवक्ता।
2. श्री नायब सिंह अप्रार्थी के अधिवक्ता।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 03.02.2020

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अपनी भूमि छिपाकर राज्य सरकार की नौकरी होने के तथ्य को छिपाकर झूठे व फर्जी सबूत पेशकर चक 20 के वाईडी की 25 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन करवा लिया। अतः आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब पेश किया गया।

3. तदन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बीकानेर

4. वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओ को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी को चक 20केवाईडी के मु.न. 98/29 की 25 बीघा भूमि दिनांक 20.04.74 को पुख्ता आवंटन की गयी। उस समय प्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति नहीं था। राजकीय सेवा मे कार्यरत थां लेकिन प्रार्थी की शिकायत को 12.08.85 को खारिज कर दिया। प्रार्थी ने उक्त आवंटन बाबत मु. नं. 10/92 से पुनः उपनिवेशन आयुक्त को शिकायत प्रस्तुत की जो दिनांक 07.05.92 को रेस्ज्यूडिकेस से बाधित मानते हुए कार्यवाही ड्रॉप कर दी। प्रार्थी ने माननीय राजस्व मंडल में निगरानी सं. 234/92 पेश की जो दिनांक 21.05.93 को खारिज कर दी गयी। प्रार्थी ने नियम 21 के तहत उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जो 21.12.2006 को खारिज कर दिया। तत्पश्चात प्रार्थी ने माननीय राजस्व मंडल, अजमेंर के निर्णय दिनांक 21.05.93 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट सं. 4411/93 प्रस्तुत की जो दिनांक 22.04.98 को स्वीकार करते हुए उपनिवेशन आयुक्त का आदेश दिनांक 07.05.92 एवं राजस्व मंडल अजमेर का निर्णय दिनाक 21.05.93 निरस्त करते हुए प्रकरण विहित अवधि में निर्णित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया। अप्रार्थी ने एकलपीठ के निर्णय 22.04.98 के विरूद्ध विशेष अपील सं. 717/98 प्रस्तुत की जिसने माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ दिनाक 26.08.08 को निरस्त कर दिया तथा विधिअनुसार निर्णय पारित करने के लिए कोलोनाईजेशन कमीशनर को निर्देशित किया। अप्रार्थी किशनलाल सद्भावी कृषक नहीं है। अप्रार्थी के पास 75 बीघा भूमि ग्राम करणीसर भाटियान में स्थित है। भूमि आवंटन के समय किशनलाल अप्रार्थी लैण्डलेस परसन नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद अप्रार्थी, ने आफ्टर थॉट तहसीलदार को बारानी भूमि का आवंटन खारिज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने सरकारी भूमि हड़पने का गैर कानूनी प्रयास किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन खारिज किय जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौरान ए बहस कथन किया कि चक 20 केवाईडी के मु.नं. 98/29 की 25 बीघा भूमि अस्थायी आवंटन राजस्थान कॉलोनाईजेशन टेम्परेरी कन्टीलीस कंडीशन 1955 के तहत नियम 71 के आवंटित हुई जो प्रतिवर्ष नवीनीकरण होकर 1974 में पुख्ता आवंटन हुई। तब से लगातार उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है तथा तमाम किश्ते जमा है। प्रार्थी द्वारा उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत मुकदमा सं. 05/83 नियम 22(3) निर्णय दिनांक 12.08.85 से शिकायत निरस्त कर दी। उन्ही तथ्यो पर उपनिवेशन आयुक्त के समक्ष मु.सं. 10/92 दिनांक 07.05.92 को ड्रॉप किया गया। उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के निर्णय 07.05.92 के विरूद्ध माननीय रेवेन्यू बोर्ड में रिवीजन 234/92 दिनांक 21.05.93 को खारिज की गयी। उसके बाद गोपालराम नामक व्यक्ति ने जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष मु.सं. 262/95 प्रस्तुत किया जो दिनांक 24.02.98 को निरस्त किया गया। अप्रार्थी को सर्वप्रथम अस्थायी आवंटन 1971 में हुआ। तब अप्रार्थी राजकीय सेवा में नहीं था। उसकी आय का स्त्रोत खेती ही था। 1974 में अप्रार्थी के टी.सी. होल्डर होने से प्राथमिकता के आधार पर पुख्ता आवंटन हुआ। इतने लंबे समय के बाद आवंटन खारिज करना गैर कानूनी है। अप्रार्थी के नाम करणीसर भाटियान में भूमि आवंटन करना बतायी गयी है जो गलत है। अप्रार्थी ने पूर्व की शिकायत में यह निवेदन किया था कि उसके नाम से किसी व्यक्ति ने प्रतिरूपता कर भूमि आवंटन करायी है जो निरस्त की जावे। दिनाक 12.08.85 का निर्णय अप्रार्थी के पक्ष में हुआ है जिसमें राज्य सरकार पक्षकार थी। उसके विरूद्ध राज्य सरकार ने कोई अपील रिवीजन नहीं की । राज्य सरकार ने अप्रार्थी के हक में स्वीकृति दे दी। अब पुनः उसे नहीं उठाया जा सकता। अप्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। लगभग 42 वर्ष से विवादित भूमि पर काबिज है। उसे अथक मेहनत से सुधारा है। अप्रार्थी के मामले में आरआरडी 1993 पेज 758, आरआरडी 1999 पेज 597, आरएलडी 1997 III पार्ट, डीएनजे 1999 पेज 509 आरआरडी 1999 पेज 128, आरआरडल 1983 पेज 322, आरआरडी 1987 पेज 535, आरआरडी 1994 पेज 683, आरआरडी 2001 पेज 133 बी लागू होते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की पूर्व शिकायत को दिनांक 12.08.85 को खारिज करने के पश्चात उपनिवेशन विभाग द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर पहुंचे बिना रेस्ज्यूडिकेटा के आधार पर कार्यवाही ड्रॉप की है। तत्पश्चात निगरानी भी इसी आधार पर खारिज हुई है। इसी कारण माननीय उच्च न्यायालय ने आयुक्त उपनिवेशन व राजस्व मंडल का निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय 22.04.98 की पालना में यह प्रकरण जैरकार है। पत्रावली पर यह दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है कि आवंटन के दिन अप्रार्थी सरकारी सेवा में कार्यरत था। इस कारण वह सद्भावी कृषक नहीं था ना ही वह लैण्डलेस परसन था। अप्रार्थी द्वारा बारानी 75 बीघा भूमि जो ग्राम करणीसर भाटियान स्थित है को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आफ्टर थॉट है। अप्रार्थी के पक्ष में हुए नहरी तथा बारानी भूमि के दोनो आवंटन सद्भावी भूमिहीन कृषक नहीं होने के कारण खारिज किया जाना, हम न्यायोचित पाते है।

7. उर्पयुक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को आवंटित चक 20 केवाईडी की 25 बीघा भूमि को खारिज किया जाता है। तहसीलदार, राजस्व, खाजुवाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां इस आदेश की प्रति के साथ लौटायी जावे।

8. आदेश आज दिनांक **06.01.2020** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर